न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 18/2018 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2018/ 00019)

अरमानदीप सिंह नाबालिग दत्तक पुत्र सुखदेव सिंह जरिये माता अमरपाल कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये पैरोकार राज।
2. सुखदेव सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी, हाल आबाद बेहरवाला कला, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. हरबंस सिंह पुत्र करतार सिह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री हरजिन्द्र सिंह — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री विजय पारीक — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 3
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 07–03–2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के निर्णय दिनांक 31.05.2017 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने संरपच ग्राम पंचायत तलवाड़ाझील पंचायत समिति टिब्बी द्वारा स्वीकृत इन्तकाल सं. 254 दिनांक 05.09.2012 के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी टिब्बी मे अपील पेश कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी टिब्बी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.05.2017 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। दिनांक 10.12.2019 को उभय पक्ष की बहस सुनकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अन्दर मियाद शुमार की गई है। प्रकरण में अपीलान्ट की माता अमरपाल कौर फौत हो चुकी है। आदेश दिनांक 31.12.2021 द्वारा

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रेस्पोडेन्ट सं. 3 के अभिभाषक की आपत्तियो को अस्वीकार कर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत सुखपाल सिंह का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सुखपाल सिंह को वादमित्र/संरक्षक की हैसियत से अपील जारी रखने की इजाजत दी गई ।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि मातहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक नम्बर 2 टी.एल. डब्ल्यू के खाता सं. 67/60 में 0.253 हैक्टर भूमि का दिनांक 05.09.2012 को इन्तकाल संख्या 254 तस्दीक कर दिया गया था जो अवैध, विधि विरूद्व है। अपीलान्ट द्वारा सिविल न्यायाधीश अनवानी प्रकरण सुखदेव सिंह बनाम अरमानदीप सिंह आदि का विवाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ के न्यायालय में जैरकार था तथा उक्त वाद में रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए उभय पक्षो को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया था। उक्त स्थगन आदेश दिनांक 08.02.2011 से यथावत चला आ रहा है। इस प्रकार स्थगन आदेश की अवहेंलना करते हुए आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो का न तो सही तरीके से मूल्यांकन किया और ना ही उक्त दस्तावेजों का कोई अपने आदेश में जिक्र किया, केवलमात्र ग्राम पंचायत के द्वारा लिया गया प्रस्ताव को ही आधार मानकर अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी टिब्बी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2017 एवं सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत इन्तकाल सं. 254 दिनांक 05.09.2012 निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट जिस सिविल कोर्ट में दावा विचाराधीन होने और उस दावे में स्थगन आदेश होना बता रहे है यह कथन वैग है, क्योकि सिविल कोर्ट में ना तो दावा विचाराधीन है और ना ही स्थगन आदेश है। अगर इस तरह कोई आदेश है तो अपीलान्ट न्यायालय में उसकी प्रति प्रस्तुत करे। अपीलान्ट हितबद्व पक्षकार भी नही है, इनको अपील पेश करने का राईट भी नही है, अपीलान्ट इन्तकाल की प्रक्रिया में पक्षकार नही था। रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि जरिये बैयनामा

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

खरीद की गई है। बैयनामा के आधार पर इन्तकाल स्वीकृत किया गया है। जबतक बैयनामा निरस्त नही हो जाता तब तक उक्त इन्तकाल को निरस्त नही किया जा सकता है। संरपच ग्राम पंचायत तलवाड़ाझील पंचायत समिति टिब्बी द्वारा इन्तकाल संख्या 254 वैध दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 3 के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1993 पेज 44, RRD 1993 पेज 232, RRD 2010 पेज 392, RRD 2010 पेज 557, RRD 2001 पेज 146, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के निर्णय दिनांक 31.05.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। जिसमें नामान्तकरण 254 दिनांक 05.09.2012 को चूनौती दी गई थी उक्त नामान्तकरण सं. 254 दिनांक 05.09.2012 को ग्राम पंचायत तलवाड़ा झील के द्वारा पजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 02.02.2012 के आधार पर स्वीकृत किया है। नामान्तकरण में वर्णित भूमि के संदर्भ में एक नियमित वाद सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें प्रकरण सं. 18/2012 के निर्णय दिनांक 03.09.2012 द्वारा स्थगन आदेश खारिज किया गया जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में दिनांक 10.09.2012 को प्रस्तुत होने पर मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने कें आदेश जारी किये गये। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तकरण सं. 254 दिनांक 05.09.2012 पक्षकारो के मध्य नियमित वाद के लम्बित रहते हुए स्वीकृत किया गया है। नामान्तकरण की कार्यवाही एक (Fiscal) फिस्कल कार्यवाही है, जिसमें पक्षकारो के हितो का अंतिम निस्तारण नही हो सकता है जो कि केवल नियमित वाद के माध्यम से ही होता है। रेस्पोडेन्ट सं. 3 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथ्यो के भिन्न होने से हुबहू प्रकरण पर लागू नही होते है। उपरोक्त विवेचन

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टिब्बी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 एवं संरपच ग्राम पंचायत तलवाड़ाझील द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण सं. 254 दिनांक 05.09.2012 निरस्त किया जाता है। प्रश्नगत भूमि कें सम्बन्ध में विचाराधीन नियमित वाद के निर्णय उपरान्त नामान्तरण की कार्यवाही की जावे।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 07.03.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर